न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मती रीना छिम्पा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 44/2019

1. नरेन्द्र सिह उर्फ निन्दर सिह पुत्र दलीप सिह जाति जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्री करणपुर ।

--वादी--

बनाम

1. दर्शन सिह पुत्र दलीप सिह जांति जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्री करणपुर ।
2. संतोख सिह उर्फ सुखजीत सिह पुत्र दलीप सिह जाति जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्री करणपुर ।
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--प्रतिवादीगण--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए,136 एलआरएक्ट

--निर्णय-- दिनांक : 27/8/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 18 एफएफ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता स. 40/51 के मु.न.31 की कुल 0.531 हैक्टर, व इसी चक के खाता संख्या 41/52 के मु.न. 4 की कुल 6.084 हैक्टर, मु.न. 28 की कुल 0.608 हैक्टर, व इसी चक के खाता संख्या 52/64 के मु. न. 26 कुल 0.949 हैक्टर, मु.न. 31 की कुल 0.633 हैक्टर, इस प्रकार तीनों खातो की कुल 8.805 हैक्टर नहरी भूमि वादी व वादी के भाई दर्शन सिह, संतोख सिह उर्फ सुखजीत सिह व माता महेन्द्र कौर के नाम बतौर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 41/52 के मु.न. 4 व 28 का उक्त रकबा वादी के नाम जरिए विरास्तन इन्तकाल संख्या 149 दिनांक 01.06. 1991 को वादी के नाम दर्ज हुई व खाता संख्या 40/51 के मु.न. 31 व खाता संख्या 52/64 के मु.न. 26,31 जरिए रजिस्ट्रर्ड बैयनामा दिनांक 26.06.1980 व दिनांक 28.05.1977 को भूमि खरीद की गई थी। वादी का वास्तविक नाम नरेन्द्र सिह पुत्र दलीप सिह के नाम खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी के आधार कार्ड संख्या 678984702716, मतदाता पहचान पत्र क्रमांक आर.जे./1/008/165713, मूल निवास प्रमाण पत्र क्रमांक 63, राशन कार्ड संख्या 006431600007 में वादी का वास्तविक नाम नरेन्द्र सिह पुत्र दलीप सिंह अंकित है। चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 49/61 व 50/62 में भी वादी का नाम नरेन्द्र सिह पुत्र दलीप सिह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी के नाम के सम्बन्ध में ग्राम 18 एफएफ व ग्राम पंचायत 16 एफ एफ द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 40/51 के मु.न. 31 व इसी चक के खाता संख्या 41/52 के मु.न. 4, 28 व खाता संख्या 52/64 के मु.न. 26,31 इस प्रकार उक्त तीनो खातो की कुल 8.805 हैक्टर नहरी भूमि में वादी का नाम निन्दर सिह पुत्र दलीप सिह दर्ज है। उक्त जमाबन्दी में वादी का नाम निन्दर सिह पुत्र दलीप सिह के है तथा अन्य तमाम दस्तावेज में वादी का नाम नरेन्द्र सिंह पुत्र दलीप सिह होने के कारण वादी को हर समय

(रीना)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner

पेरशानी का सामना करना पडता है। सम्बन्धित विभाग में अपने दो नाम होने के सम्बन्ध में एवं अपनी पहचान बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करना पडता है इस कारण वादी उक्त जमाबन्दी में अपना नाम नरेन्द्र सिंह उर्फ निन्दर सिह घोषित करवाना चाहता है। वादी ने इस सम्बन्ध में राजस्व कैम्प जून माह में लिखित वाद पत्र प्रस्तुत कर संशोधित करवाना चाहा तो तहसीलदार साहब द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई इस कारण वादी राजस्व प्रविष्ठियों में संशोधन हेतु वाद

प्रस्तुत करने का अधिकारी है। वाद पत्र में वादी ने राज्य सरकार से अनुतोष चाहा है। अन्य शेष खातेदारन के विरूद्व कोई अनुतोष नही मांगा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वाद सम्पति के संयुक्त खातेदार है इस कारण उनको वाद में बतौर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 40/51 के मु.न. 31 व इसी चक के खाता संख्या 41/52 के मु. न. 4, 28 व खाता संख्या 52/64 के मु.न. 26,31 इस प्रकार उक्त तीनो खातो की कुल 8.805 हैक्टर नहरी भूमि में वादी का नाम निन्दर सिह पुत्र दलीप सिह के स्थान पर नरेन्द्र सिह उर्फ निन्दर सिंह पुत्र दलीप सिह अकित किए जाने के आदेश दिए जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होन पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वंय उपस्थित आए व सहमति का जवाब दावा पेश किया। राजपैरोकार के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया। जबाव स्टेट के अनुसार संबधित जमाबन्दी (राजस्व रिकॉर्ड) में वादी का नाम निन्दर सिह पुत्र दलीप सिह के स्थान पर नरेन्द्र सिह उर्फ निन्दर सिह पुत्र दलीप सिह जाति जटसिख निवासी 18 एफएफ घोषित किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, वाद पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता को वादपत्र पर कोई एतराज नही है।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 40/51 के मु.न. 31 व इसी चक के खाता संख्या 41/52 के मु.न. 4, 28 व खाता संख्या 52/64 के मु.न. 26,31 इस प्रकार उक्त तीनो खातो की कुल 8.805 हैक्टर नहरी भूमि में वादी का नाम नरेन्द्र सिह उर्फ निन्दर सिंह पुत्र दलीप सिह अंकित किए जाने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मूल निवास, राशन कार्ड, में वादी का नाम नरेन्द्र सिंह पुत्र दलीप सिह अंकित है। वादी के नाम के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत 14 एफ एफ द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 40/51, 41/52, 52/64 में नाम निन्दर सिंह पुत्र दलीप सिंह अंकित है। सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादपत्र पर कोई एतराज नही है। जवाव स्टेट के अनुसार उक्तानुसार संशोधन किया जाना उचित है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली में साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 40/51, 41/52, 52/64 में अंकित नाम निन्दर सिंह पुत्र दलीप सिंह के स्थान पर नरेन्द्र सिह उर्फ निन्दर सिंह पुत्र दलीप सिह जाति जटसिख निवासी 18 एफएफ अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इन तीनो खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर

(सीना)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner

रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27/8/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ रीना आर.ए.एस.}
(रीना)
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर